कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़(छ0ग0)

—:: आदेश ::—

क्रमांक 13577/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 30—09—2020

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) को संक्रमण बीमारी घोषित किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत समेत पूरे विश्व में खतरा उत्पन्न हो गया है। राज्य में भी बहुत तेजी से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले के बढ़ने के दृष्टिगत छ0ग0 शासन द्वारा स्वास्थ्य के दृष्टिगत COVID-19 के पीड़ित/संदेही से संपर्क/दूर रहने एवं इससे बचने के सभी प्रकार के संभावित उपायों को अमल में लाने एवं COVID-19 के संभाव्य प्रसार के नियंत्रण हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 13236/न्या.लि./2020, रायगढ़ दिनांक 20—09—2020 के द्वारा जिला रायगढ़ के नगरीय सीमा क्षेत्र को दिनांक 30—09—2020 की रात्रि 12:00 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है, को एतदद्वारा द्वारा अधिक्रमित करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया जाता है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40—3/2020—DM—I(A), दिनांक 30 मई 2020 एवं छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 288/स.सा.प्र.वि./2020, रायपुर दिनांक 31—05—2020 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 357/स0सा0प्र0वि0/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18—07—2020 में दिये गये निर्देश/गाईड लाईन/एडवायजरी के अनुक्रम में **सम्पूर्ण रायगढ़ जिला में** अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन **प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे** तक सप्ताह में **दिन—रविवार** को छोड़कर एवं जिला प्रशासन द्वारा समय—समय पर घोषित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये (मॉस्क पहनने के निर्देश के साथ) की जा सकेगी।

1— **परन्तु आगामी पर्यन्त निम्न गतिविधियाँ रायगढ नगर निगम क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में प्रतिबंधित/अनुमति रहेगी :—**

(1) उल्लेखित नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन यान यथा यात्री/सिटी बस निजी बसें, टैक्सी, ऑटो—रिक्शा, ई—रिक्शा, रिक्शा आदि की सेवाएं सशर्त संचालित की जा सकेगी।

(2) कोरोना संक्रमण नियंत्रण हेतु कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु स्वेच्छिक रूप से ई—पास का उपयोग किया जा सकेगा ताकि ट्रेवल हिस्ट्री का रिकार्ड उपलब्ध रहे एवं संभावित मरीजो की समय पर पहचान की जा सके। इस हेतु आवागमन करने वाले समस्त यात्री ई—पास का स्वैच्छिक रूप से उपयोग करे।

(3) आवागमन स्थलों जैसे :— एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय जांच चौकी इत्यादि पर बिना ई—पास आवागमन करने वाले यात्री कान्टेक्ट ट्रेसिंग के उद्देश्य से ई—पास हेतु आवेदन करने के उपरांत ही आगे यात्रा करें।

(4) अन्य राज्यों से प्रवास करने पर पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को अनिवार्य रूप से सूचना देगें तथा होम क्वारेंटाईन के नियमों का पालन करेगें। होम क्वारेंटाईन का उल्लंघन पाये जाने पर एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी।

(5) सभी कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर में फिजीकल डिस्टेसिंग, मास्क का उपयोग एवं समय समय पर हाथ धोने/सेनेटाईज करने हेतु आवश्यक व्यवस्था अनिवार्यतः सुनिश्चित करेगें। यदि कार्यालय में इस आदेश की अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को इसके लिए उत्तरदायी माना जावेगा तथा फ्लाईग स्क्वाड तथा संबंधित इंसिडेंट कमांडर/उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी अर्थदण्ड आरोपित कर सकेगे। अर्थदण्ड की कटौती वेतन से भी की जा सकेगी।

(6) छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना अनुसार दिनांक 17.07.2020 द्वारा (कोविड—19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अधीन निर्मित विनियम के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 10920/कोरोना सेल/न्या.लि./2020 रायगढ़ दिनांक 19.07.2020 द्वारा

Scanned by TapScanner

निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित करने हेतु नायब तहसीलदार एवं उच्च अधिकारी, पुलिस विभाग के सहायक उप निरिक्षक एवं उच्च अधिकारी, नगरीय प्रशासन विभाग के राजस्व निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी, खाद्य विभाग के खाद्य निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी, कृषि उपज मंडी के मंडी इंस्पेक्टर एवं उच्च अधिकारी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिव एवं उच्च अधिकारी को आदेशित किया गया है।

1.	सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में	रूपये 100/–
2.	होम क्वारेन्टाईन के दिशा–निर्देशों का उल्लघंन किए जाने की स्थिति में	रूपये 1000/–
3.	सार्वजनिक स्थलों पर थूकने हुये पाये जाने की स्थिति में	रूपये 100/–
4.	दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा डिस्टेसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में	रूपये 200/–

उपरोक्त दिशा–निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अर्थदण्ड वसूली की कार्यवाही करेगें।

(7) सभी दुकानदार/विक्रेता स्वयं अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर विक्रय करेगें तथा बिना मास्क पहने किसी ग्राहक को यदि कोई सामग्री विक्रय किया जाता है तो दोनों स्थिति में दुकानदार/विक्रेता को रूपये 1000/– अर्थदण्ड आरोपित किया जावेगा एवं दुकान एक सप्ताह के लिये सील कर दिया जावेगा।

(8) सब्जी का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 11:00 बजे तक सशर्त अनुमति होगी, किन्तु झुण्ड में नहीं रहेंगे। सब्जी विक्रेता स्वयं एवं उनके ग्राहक बिना मास्क के पाये जायेगें तो सब्जी विक्रेता को अर्थदण्ड आरोपित करते हुए सब्जी विक्रय से प्रतिबंधित कर दिया जावेगा।

(9) मिल्क पार्लर/दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक सायं 05 बजे से रात्रि 07 बजे की जा सकेगी।

(10) घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर को प्रतिदिन प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे एवं सायं 05:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक की अनुमति होगी।

(11) अस्पताल परिसर की दवाई दुकानें 24X7 संचालित की जा सकेगी। किन्तु अन्य स्थानों पर स्थित सभी दवाई दुकानें प्रतिदिन प्रातः 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।

(12) रेस्टोरेंट/होटल से होम डिलीवरी के अनुमति रात्रि 10:00 बजे रहेगी। टेक–अवे की अनुमति नहीं रहेगी।

(13) सभी क्लब, बार, रिसार्ट, डिस्कोथीक बंद रहेंगी।

(14) सभी विद्यालय, सभी महाविद्यालय, शैक्षणिक/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे परन्तु ऑनलाईन /डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी।

(15) समस्त स्पोर्टस काम्प्लेक्स एवं स्टेडियम एवं खेल परिसर में समुह में बैठकर या खड़े होकर चर्चा करना प्रतिबंधित रहेगा। स्टेडियम/मैदान में दर्शकों की अनुमति नहीं रहेगी।

(16) सार्वजनिक पार्क में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।

(17) सभी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, थियेटर, तथा ऑडिटोरियम, सभागृह और इस प्रकार के स्थान, मेला के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।

(18) सभी सामाजिक /राजनैतिक /खेलकूद /मनोरंजन /शैक्षणिक /सांस्कृतिक /धार्मिक गतिविधियॉ एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

(19) यथासंभव माल वाहनों से माल की लोडिंग/अनलोडिंग भीड़–भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर न किया जाय। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में 09:00 बजे के पश्चात ऐसे समय में किया जाए जब वहां पर भीड़–भाड़ न हो।

(20) रायगढ़ जिले में औद्योगिक गतिविधियों का संचालन मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ से सत्यापन/अनुमति उपरांत भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश का पालन करते हुए प्रारंभ की जा सकती है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन

Scanned by TapScanner

करना उद्योग प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान के संचालक/प्रबंधक, अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी व्यक्तियों के आने की अनुमति जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ से लेगा एवं जिले में आने के उपरांत इसकी सूचना उद्योग विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को देगा साथ ही साथ प्रवासी व्यक्तियों को शासन के दिशा–निर्देश का पालन करते हुये क्वारेंटाईन में रखे जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

उक्त निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। नगर निगम क्षेत्र रायगढ में आयुक्त नगर निगम एवं संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

2– <u>व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय</u> :–

(1) दफ्तरों और कार्यालयों में (निजी एवं शासकीय) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में ***Arogya setu app*** डाउनलोड करवायें।

(2) 04 से अधिक व्यक्ति ज्ञापन सौंपने हेतु न आयें।

(3) जगह–जगह झुण्ड बनाकर एकत्रित न हों, सामुहिक रूप से चौंक चौराहों पर इकट्ठा होकर बातचीत करना प्रतिबंधित रहेगा।

(4) होटल/रेस्टोरेंट में सामुहिक रूप से भोज का आयोजन/पार्टी प्रतिबंधित रहेगा।

3– <u>सार्वजनिक स्थलों हेतु कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के निर्देश/शर्तें</u> :–

(1) सार्वजनिक एवं कार्यस्थल पर फेस मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा।

(2) दुकान परिसर में 01–01 मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियो के फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये।

(3) दुकान में एक समय में पांच से ज्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा न होने दिया जाये।

(4) सोशल डिस्टेसिंग/ फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्यतः किया जाये।

(5) दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाये।

(6) दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें।

(7) दुकान परिसर एवं सार्वजनिक स्थल में थुकना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

(8) दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाखु इत्यादि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

(9) Work from home (WFH) को बढ़ावा दिया जावे।

(10) संपूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं की बार–बार सफाई सुनिश्चित की जावे।

(11) विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 **(पचास)** होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।

(12) अंतिम संस्कार/अन्त्येष्ठि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियो की अधिकतम संख्या **20 (बीस)** होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।

(13) समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्केनिंग, मास्क, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनश्चित हो साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होगा।

<u>दाण्डिक प्रावधान</u> :–

उपरोक्त प्रतिबंध आदेशों एवं दिशा–निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, महामारी एक्ट तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत

Scanned by TapScanner

कार्यवाही के भागी होंगे। **जिले में कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेन्मेंट जोन में कदापि नही होगी।**

यह आदेश दिनांक 30–09–2020 की मध्य रात्रि 12:00 बजे से प्रभावशील होगा।

(भीम सिंह)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक **13577** –A/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 30.09.2020

प्रतिलिपिः–

1– सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर

2– सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर

3– सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर

4– सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन,

5– आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर

6– पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर

––की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

7– पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।

9– मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10– आयुक्त, नगर पालिका निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11– सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12– उप संचालक, जनसम्पर्क, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

13– सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14– सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15– सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16– सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17– सर्व थाना प्रभारी, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18– समस्त प्रबंधक/संचालक औद्योगिक संस्थान/कारखाना जिला रायगढ़(छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned by TapScanner